राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, भीलवाड़ा (राज.)

–:: राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज खनिज बजरी के अवैध खनन के संबध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट ::–

जिला भीलवाड़ा में मुख्य रूप से बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, चन्द्रभागा, मेनाली व अन्य नदी नालों में बजरी पायी जाती है। पूर्व में नदी, नालों के क्षेत्रों में मंशापत्र जारी कर कार्यानुमति जारी की गयी थी, जो कि वर्तमान में प्रभावशील नहीं है। यद्यपि खातेदारी क्षैत्रों में आज दिनांक तक 4 बजरी के खनन पट्टे जारी किये गये हैं, जो कि छोटे व कम उत्पादन क्षमता के होने के कारण बजरी की मांग की आपूर्ति में सक्षम नहीं है। जिले में बनास नदी 145 किमी, बेड़च नदी 18 किमी, कोठारी नदी 126 किमी, खारी नदी 62 किमी, मानसी नदी 68 किमी, चन्द्रभागा नदी 26 किमी, मेनाली नदी 15 किमी लम्बाई में बहती है। इस प्रकार से बजरी की प्रचूर मात्रा जिले के दक्षिणी व पूर्वी भाग मे उपलब्ध है, जो कि अवैध खनन एवं निर्गमन हेतु संभावित क्षैत्र है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 34134/2013 एवं सिविल अपील संख्या 9703–9706/2013 में दिनांक 16.11.2017 को पारित ओदश की पालना में बिना रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के जारी पर्यावरण सहमति व बिना पर्यावरण सहमति के अस्थाई कार्यानुमति धारकों द्वारा किया जा रहा खनन कार्य बन्द करने के आदेश प्रदान किए गए।

शासन के आदेश क्रमांक प.20(118)खान/ग्रुप–2/2014पार्ट(बजरी) जयपुर दिनांक 08.10.2020 से जिले में दिनांक 15.10.2020 से 31.10.2020 तक सघन जांच अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा श्री शिवप्रसाद एम0 नकाते द्वारा दिनांक 14.10.2020 को जिला टास्क फोर्स की बैठक ली गई बैठक में श्री नकाते द्वारा अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गये साथ ही खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.11.2017 की पालना में जिला भीलवाड़ा में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

S. N.	Period	Mining (No. of Cases)	Transport (No. of Cases)	Stock (No. of Cases)	Total No. of Cases	No. of F.I.R.	Quantity (in M.T.)	Recovery Cost Mineral (in Rs.)	Recovery Compound Fee (in Rs.)	Total
1	17-11-2017 to 10/12/2020	107	3017	261	3385	707	223248	19385907	230623814	250009721
2	01-04-2020 to 10/12/2020	23	527	125	675	177	145776	3862268	62779168	66641436

उपरोक्त सभी के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.11.2017 की पालना में बजरी खनन/निर्गमन/भण्डारण पर रोक के पश्चात संपूर्ण राजस्थान में कुल 31450 प्रकरणों के सापेक्ष जिला भीलवाड़ा 3385 प्रकरणों में 12.71 प्रतिशत के साथ जिला भीलवाड़ा अवैध बजरी खनन पर की गई कार्यवाही में द्वितीय स्थान पर है। साथ ही अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही उपरांत कुल वसूल की गई राशि 196.64 करोड़ के सापेक्ष जिला भीलवाड़ा 25 करोड की वसूली में 12.71 प्रतिशत के साथ द्वितिय स्थान पर है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपूर्ण राजस्थान में कुल 4279 प्रकरणों के सापेक्ष जिला भीलवाड़ा 675 प्रकरणों में 15.77 प्रतिशत के साथ जिला भीलवाड़ा अवैध बजरी खनन पर की गई कार्यवाही में प्रथम स्थान पर है। साथ ही अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही उपरांत कुल वसूल की गई राशि 31.14 करोड़ के सापेक्ष जिला भीलवाड़ा 6.66 करोड की वसूली में 20.16 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है।

जिला भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जाती रही है व भविष्य में भी की जाती रहेगी।

खनि अभियंता
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner